



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.02.2023

1-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस व एचटीयू पुलिस टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार में शामिल 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 01 पेटीएम स्कैनर, 1900 रुपये नगद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद।

दिनांक 22/23.02.2023 को अनैतिक देह व्यापार होने की सूचना मिलने पर डीसीपी नोएडा के निर्देशन व एसीपी-1 नोएडा जॉन के नेतृत्व में थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस(जिसमें 03 महिला पुलिसकर्मी) व एचटीयू टीम द्वारा अनैतिक देह व्यापार में शामिल 04 अभियुक्त 1.गजेन्द्र कुमार पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम बडाईपूरा, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद वर्तमान निवासी जे-90, सेक्टर-41, नोएडा 2.आलोक कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी चौहान चौपाल, शिवम चौहान का मकान, बरौला, थाना सेक्टर-49, नोएडा 3.प्रवीण पुत्र रणधीर सिंह निवासी अमित राणा का मकान, समरविला स्कूल के पास, डी ब्लॉक, चोडा गाँव, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, नोएडा 4.धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भुवनेश्वर सिंह निवासी बी-73, ब्रह्मपुरी नागलोई, नजफगढ़, साऊथ वेस्ट, दिल्ली को सेक्टर-41 ओयो होटल से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, 01 पेटीएम स्कैनर, 1900 रुपये नगद व अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 132/23 धारा 370ए(2)/34 भा.द.वि. व 3/4/5/7(1)(ए)/7(2)(बी) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-39 पंजीकृत किया गया है। मौके से 07 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया जिसके सम्बन्ध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण:

अभियुक्तगण द्वारा महिला/पीडिताओं से जबरन ओयो होटल जे-90 सैक्टर 41 नोएडा में अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। तथा ओयो होटल मालिक द्वारा होटल को अनैतिक देह व्यापार हेतु प्रयोग कराया जा रहा था।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.गजेन्द्र कुमार पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम बडाईपूरा, थाना नसीरपुर, जनपद फिरोजाबाद वर्तमान निवासी जे-90, सेक्टर-41, नोएडा।
- 2.आलोक कुमार पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी चौहान चौपाल, शिवम चौहान का मकान, बरौला, थाना सेक्टर-49, नोएडा।
- 3.प्रवीण पुत्र रणधीर सिंह निवासी अमित राणा का मकान, समरविला स्कूल के पास, डी ब्लॉक, चोडा गाँव, सेक्टर-22, थाना सेक्टर-24, नोएडा।

4.धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र भुवनेश्वर सिंह निवासी बी-73, ब्रह्मपुरी नागलोई, नजफगढ, साऊथ वेस्ट, दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 132/23 धारा 370ए(2)/34 भा.द.वि. व 3/4/5/7(1)(ए)/7(2)(बी) अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.14 मोबाइल फोन

2.01 पेटीएम स्कैनर

3.1900 रुपये नगद

4.अन्य आपत्तिजनक सामान

2-थाना फेस-2 पुलिस द्वारा, साइट पर धमकी देते हुये तोड़फोड़ कर बंदूक लहराने तथा पैसे की मांग पूरी न करने पर तोड़फोड़ करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.02.2023 को थाना फेस 2 पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 103/23 धारा 147/148/149/427/506/386 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त लुकमान पुत्र इलियास निवासी ग्राम कलौंदा थाना जारचा जिला गौतमबुद्धनगर हाल पता बी-50 सेक्टर 108 नोएडा गौतमबुद्धनगर को गन्दा नाला सेक्टर 136 नोएडा थाना फेस 2 से गिरफ्तार किया गया है।

विवरण:-

दिनांक 22.02.2023 को अभियुक्तगण द्वारा वादी व उसके साईट पर काम करने वाले लोगो के साथ प्लाट न0 ए 1ए सेक्टर 136 पर आकर साईट पर तोड़फोड़ कर, काम बन्द करने की कोशिश करना और बन्दूके लहराते हुए धमकाना तथा पैसे की मांग करना पैसे नही देने पर कम्पनी में तोड़ फोड़ करना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में।

अभियुक्त का विवरण:

लुकमान पुत्र इलियास निवासी ग्राम कलौंदा थाना जारचा जिला गौतमबुद्धनगर हाल पता बी-50 सेक्टर 108 नोएडा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 103/23 धारा 147/148/149/427/506/386 भादवि थाना फेस 2 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

3-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा, हत्या के अभियोग में आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.02.2023 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 093/2023 धारा 302/34 भादवि0 के अंतर्गत नामित/वांछित अभियुक्त सतपाल पुत्र शिवसहाय निवासी ग्राम समसपुर(मलिकफत्था) थाना जरीफ नगर जनपद बदायूं

वर्तमान पता रिषिपाल भाटी का मकान ग्राम देवला थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर को कचहरी गेट न0 02 के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मूल रूप से जनपद बदायूं का रहने वाला है, जो अपनी पत्नी के साथ ग्राम देवला सूरजपुर स्थित रिषिपाल भाटी के मकान में किराये पर रहता था। अभियुक्त सतपाल के मृतक नीरेश की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध थे। नीतू भी अपने पति व बच्चों के साथ रिषिपाल भाटी के दूसरे मकान के आस- पास ही किराये पर रहती थी। मृतक नीरेश से सतपाल ने 05 लाख रूपये उधार ले रखे थे। नीरेश द्वारा सतपाल व नीतू के अवैध संबंधों का विरोध करने व उधार दिये गये रुपयों की मांग करने के कारण दिनांक 12/13.02.2023 की रात्रि में अभियुक्त सतपाल द्वारा अपनी पत्नी पुष्पा व नीरेश की पत्नि नीतू के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से नीरेश पुत्र स्व0 श्री धर्मसिंह निवासी- ग्राम सूरजपुर भूड थाना जरीफनगर जनपद बदायूं की मारपीट कर गला घोटकर हत्या कर दी गयी थी।

अभियुक्त का विवरण:

सतपाल पुत्र शिव सहाय नि0 हाल पता रिषिपाल भाटी का मकान शिव मन्दिर वाली गली ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर, मूल निवासी ग्राम समसपुर थाना जरीफ नगर जनपद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 -093/2023 धारा 302/34 भादवि0 बनाम सतपाल